संख्या-237/2024/आई/ 738115/41-2002-001-3-2024-CN-1777671

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2024**

विषय:-जनपद प्रयागराज में पुराने नैनी ब्रिज से लेकर अरैल क्षेत्र के डी०पी०एस० स्कूल तक हेरिटेज लाईट कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2044/6-1-1(385)/2023-24 दिनांक 10.07.2024 एवं पत्र संख्या-3768/6-1-1(385)/2023-24 दिनांक 29.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद प्रयागराज में पुराने नैनी ब्रिज से लेकर अरैल क्षेत्र के डी०पी०एस० स्कूल तक हेरिटेज लाईट कार्य हेतु नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2188/ 2023/1698491 दिनाँक 29.08.2023 द्वारा स्वीकृत परियोजना के दृष्टिगत पर्यटन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-142/2024/आई/522219/001-41-2002-001-3-2024-सी0एन0-1777671 दिनाँक 16.03.2024 द्वारा स्वीकृत उक्त परियोजना की द्विरावृत्ति रोकने हेतु पर्यटन विभाग की स्वीकृत उक्त परियोजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) को राजकीय राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-142/2024/आई/522219/001-41-2002-001-3-2024-सी0एन0-1777671 दिनाँक 16.03.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज में पुराने नैनी ब्रिज से लेकर अरैल क्षेत्र के डी०पी०एस० स्कूल तक हेरिटेज लाईट कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-142/2024/आई/522219/001-41-2002-001-3-2024-सी0एन0-1777671 दिनाँक 16.03.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।